न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 24/2021 **RCMS 2021/155**

वादीया

1. गणेशीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति बावरी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बनवारी पुत्र भंवरलाल जाति बावरी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. बलवीर पुत्र भंवरलाल जाति बावरी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
3. मोहनराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला नाागैर राजस्थान

दावा – बाबत बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री मेवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रति. सं. 1 से 2 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 27.10.2021

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा 525 रकबा 1.23 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 की सह खातेदारी की भूमि आई हुई है, जिसमें वादी को 1/8 हिस्सा आया हुआ है, जिसमें वादीया बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कराने की अधिकारी है, वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से 3 सहखातेदारो को अपने [illegible] कब्जे अनुसार भू–विभाजन विधिवत रूप से करने हेतु [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा इन्कार करने पर वादी को यह [illegible] है, प्रतिवादी सं. [illegible] 3 बिना विधिवत बंटवारा कराये बेचान करने पर उतारू है, यदि वे सफल [illegible] गये तो वादिया को अपार क्षति होगी जिसी पूर्ति होना असम्भव होगा। अतः वादीया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

इस्तदुआ है कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण 1 ता 3 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम जिलिया की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 1.23 हैक्टर में वादी 1/8 हिस्सा सह खातेदारी की आई हुई है को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाया जाकर वादी की 1/8 हिस्से की भूमि की अलग होल्डिंग कायम की जावे।

वाद वादीया दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 ने उपस्थित होकर लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया की ओर जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की प्रति एवं नजरी नक्शा की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत राजीनामा दिनॉक 15.09.2021 में वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 ने कथन किया है कि राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित हक हिस्सा अनुसार वादीया गणेशी देवी को 0.15375 हैक्टर लाल रंग से दर्शित हिस्से, प्रतिवादी सं. 1 बनवारी को 0.46125 हैक्टर पीला रंग से दर्शित हिस्से, प्रतिवादी सं. 2 बलवरी को 0.46125 हैक्टर हरा रंग से दर्शित हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रेकार्ड एवं नक्शें में हक हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान फरमावे।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 525 रकबा 1.23 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में गणेशी देवी पत्नी भंवरलाल हिस्सा–1/8 जाति–बावरी सा[illegible] पुत्र भंवरलाल हिस्सा–3/8 जाति बावरी सा. देह खातेदा[illegible]–3/8 जाति बावरी सा. देह खातेदार, मोहनराम पुत्र [illegible] हिस्सा 1/8 जाति मेघवाल सा. खारिया खातेदार दर्ज है, पक्षकारान वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर नजरी नक्शा एवं हक हिस्सा अनुसार भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बंटवारा किया जाकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज किये जाने का कथन किया है, राजीनाम तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। मुताबिक राजीनाम एवं वाद अनुसार पक्षकारान ने अपना अपना हक हिस्सा पृथक–पृथक दर्ज किये जाने का कथन राजीनामा में किया है तथा नजरी नक्शा अनुसार ही खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। उपलब्ध रेकार्ड राजीनामा अनुसार वाद वादीया मुताबिक राजीनामा अनुसार काबिल डिक्री योग्य पाया गया। पक्षकारो द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर नजरी नक्शा अनुसार वाद डिक्री किये जाने के कथन अनुसार प्रकरण मे बंटवारा स्कीम तलब नही कर वादी अन्तिम रूप से डिक्री योग्य पाया गया। अतः वाद वादीया अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर ग्राम जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 1.23 हैक्टर में वादीया को 0.15375 हैक्टर, प्रतिवादी बनवारी को 0.46125 हैक्टर, प्रतिवादी बलवीर को 0.46125 हैक्टर, प्रतिवादी मोहनराम को 0.15375 हैक्टर नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 27.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**
राजस्व वाद संख्या 24/2021 **RCMS 2021/155**

वादीया

1. गणेशीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति बावरी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बनवारी पुत्र भंवरलाल जाति बावरी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
2. बलवीर पुत्र भंवरलाल जाति बावरी निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
3. मोहनराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला नाागैर राजस्थान

दावा — बाबत बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्त. अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू—बरू श्री मेवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 2 मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **अतः वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर ग्राम जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 1.23 हैक्टर में वादीया को 0.15375 हैक्टर, प्रतिवादी बनवारी को 0.46125 हैक्टर, प्रतिवादी बलवीर को 0.46125 हैक्टर, प्रतिवादी मोहनराम को 0.15375 हैक्टर नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।** निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27 माह 10 सन् 2021 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म[illegible]		
महन्ताना वकिल			[illegible]वाह[illegible]		
खर्चा गवाहन			फिस [illegible]		
फिस कमिश्नर			[illegible] हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 15/09/2021 11:11:39 AM

जिला :नागौर तहसील : कुचामन भू. अ. नि. क्षेत्र :जिलिया

पटवारी हल्का :जिलिया ग्राम : जिलिया

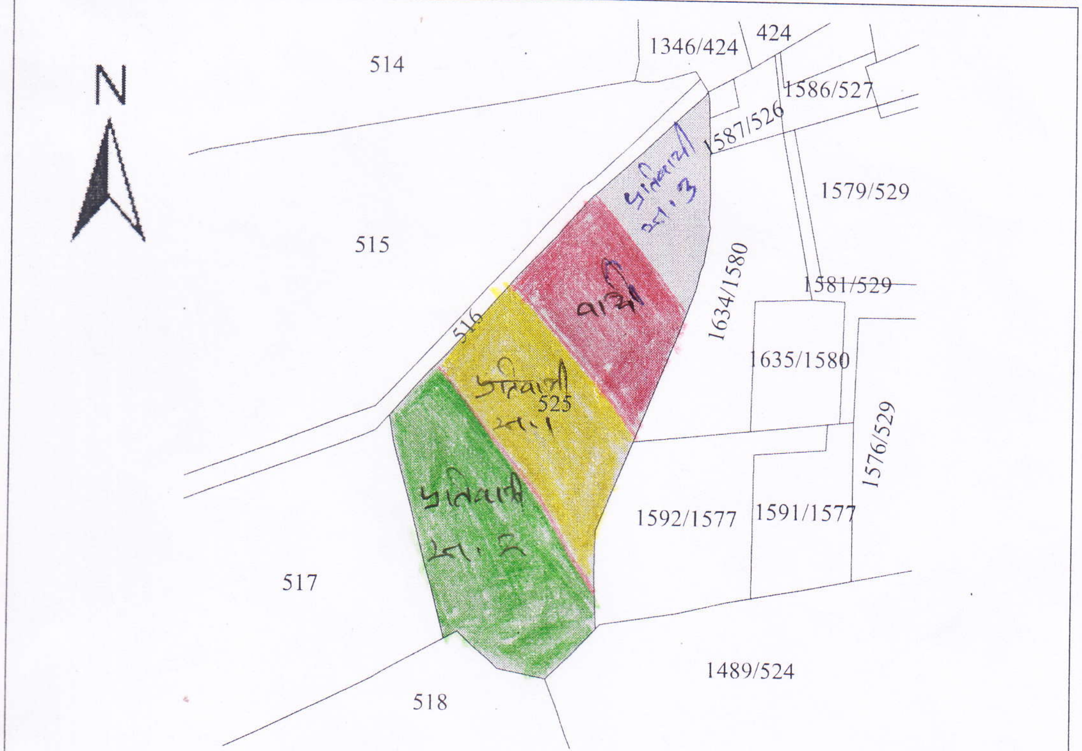

खसरा संख्या :525 क्षेत्रफल : 1.2300 Hectare खाता संख्या : 173पुराना खाता संख्या :142

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 1 [1.2300, 6.15]

2.) बनवारी पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 3/8 जाति- बावरी सा. देह खातेदार

3.) बलवीर पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 3/8 जाति- बावरी सा. देह खातेदार

4.) मोहनराम पुत्र गणेशाराम हिस्सा- 1/8 जाति- मेघवाल सा. खारीया खातेदार

1.) गणेशीदेवी पत्नि भंवरलाल हिस्सा- 1/8 जाति- बावरी सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु संबंधित जिला/तहसील [illegible] सम्पर्क करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)